प्रेस-विज्ञप्ति

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों को दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय के कर-कमलों से सौंपे गये चेक

इस सराहनीय प्रयास के लिए लाभार्थियों ने दिया प्रशासन को धन्यवाद

दीव 19 अगस्त, 2020: दीव समाहर्तालय के सभागार में दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय के कर-कमलों से आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रथम चरण के तहत दीव के स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार की ऋण-राशि का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर दीव के उप-समाहर्ता भी उपस्थित थे।

ध्यातव्य है कि रेहड़ी, पटरी, ठेला लगानेवाले को सरलता से एवं सस्ता लोन मिल सके इसके लिए भारत सरकार ने स्व-निधि लोन स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल उद्‌देश्य रेहड़ी-पटरी या सड़क के किनारे ठेला लगाकर अपना जीवन-यापन करनेवाले दुकानदारों को सस्ता ऋण मुहैया कराना है, ताकि वे सुदखोरों की चंगुल से मुक्त होकर अपना व्यापार सरलता से कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

विदित हो कि कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक चले लॉकडाउन से रेहड़ी, पटरी, ठेला लगानेवाले को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति में इनकी आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन से उत्पन्न आजीविका की समस्याओं के निस्तारण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आहवान पर समस्त भारतवासी को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में कई पहल किये गये हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना की शुरूआत की गई है। स्ट्रीट वेंडरों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में यह एक ठोस एवं कारगर कदम साबित हो सकता है। इसी वर्ष 1 जून को केन्द्रीय केबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई थी। इसके तहत रेहड़ी, पटरी, ठेले पर व्यवसाय चलाने वालों को ऋण दिया जाता है, ताकि वे मुनाफाखोरों की चंगुल में न फसें। इस लोन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए न तो किसी गारंटी की जरूरत है और न किसी गारंटर की। यह बैंक द्‌वारा आवेदन के आधार पर दिया जाने वाला लोन है।

आज इसी कडी में दीव की माननीया समाहर्ता ने लोन के लिए आवेदन करनेवाले आवेदकों को लोन संबंधी दस हजार रूपये का चेक प्रदान किया। लोन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने भारत सरकार के इस स्कीम की सराहना की और प्रशासन का धन्यवाद दिया।

हस्ता/-

जन-संपर्क अधिकारी

दीव